झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अपराधिक विविध याचिका संख्या. 2330/2021

उमेश कुमार सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता- लक्ष्मण प्रसाद सिंह, निवासी- अशोक निवास, मेनका होटल के पास, डाकघर+थाना- कदमकुवर, जिला- पटना, बिहार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. मेसर्स प्रेमदीप डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पी.एम.पी.के हाउस, एस.एन. गांगुली रोड, डाकघर- जीपीओ एवं थाना- कोतवाली, जिला- रांची, द्वारा इसके निदेशक श्री प्रदीप कुमार जैन, पिता पूरन मल जैन, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी- पी.एम.पी.के. हाउस, एस.एन. गांगुली रोड, डाकघर- जी.पी.ओ. और थाना- कोतवाली, जिला-रांची

.....विपपक्षीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री रूपेश सिंह, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	: सुश्री प्रिया श्रेष्ठ, विशेष पी.पी.
विपक्षी संख्या 2 की ओर से	: श्री राहुल साबू, अधिवक्ता
	: श्री ऋषभ कौशल, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति, श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना.

2. यह अपराधिक विविध याचिका धारा 482 दं.प्र.सं. के अधीन इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि परिवाद मामला संख्या 2350/2018 को अभिखंडित किया जाए, साथ ही दिनांक 14.08.2018 के संज्ञान लेने का आदेश, जिसके द्वारा विद्वान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, रांची ने याचीकाकर्ता के

विरुध्द अन्य बातों के साथ-साथ भा.द.सं. की धारा 406, 420 एंव 120बी के अधीन अपराध कारित करने का संज्ञान लिया है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि सह-अभियुक्त मोहनीश कुमार ने अन्य सह-अभियुक्त सुरेश जैन के साथ शिकायतकर्ता के पास कुछ पैसों के लिए पहुंचे, लेकिन शिकायतकर्ता इसके लिए इच्छुक नहीं था। इसके बाद याचिकाकर्ता सह-अभियुक्तों के साथ शिकायतकर्ता के कार्यालय में आया और सह-अभियुक्त मोहनीश कुमार और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सह-अभियुक्त सुरेश जैन भी गवाह था, लेकिन निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता ऐसे समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और इसके परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता ने सह-अभियुक्त मोहनीश कुमार को बिहार के वैशाली जिले में स्थित फ्लैटों की पांच इकाइयों की खरीद के लिए 75,00,000/- रुपये का भुगतान किया, लेकिन बाद में सह-अभियुक्त मोहनीश कुमार ने शिकायतकर्ता को पैसे वापस नहीं किए और जांच पर शिकायतकर्ता को पता चला कि याचिकाकर्ता ने मोहनीश कुमार के साथ मिलीभगत कर के हक़ वाद संख्या (टाइटल सूट) 503/2016 दायर किया था, जो मोहनीश द्वारा शिकायतकर्ता से पैसे लेने से पहले ही, निर्णित एंव डिक्रित हो चुका था और जिस वाद के निर्णय और डिक्री द्वारा मोहनीश कुमार के स्वामित्व के दस्तावेजों को रद्द कर दिया गया था। विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, रांची ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करते हुए अन्य बातों के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 406, 420 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराध कारित करने का संज्ञान लिया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच हुए समझौते का पक्षकार नहीं है और न ही शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच हुए कथित समझौते पर उसका हस्ताक्षर प्रकट हो रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध का कोई अभियोग नहीं है और याचिकाकर्ता को इस मामले में केवल बदला लेने के लिए फंसाया गया है और याचिकाकर्ता और उमेश प्रसाद सिंह द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को विद्वान अवर न्यायाधीश, प्रथम, हाजीपुर, वैशाली की अदालत के फैसले के तहत 30.06.2016 और 01.07.2016 को रद्द कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचहिकाकर्ता को धन सौंपने का भी कोई अभियोग नहीं है।

5. **पंकज डे बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2023 एस.सी.सी ऑनलाइन झार. 778** में प्रकाशित के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलम्बन लेते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उस मामले के तथ्यों में, यह न्यायालय भारत के माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, **विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में (2022) 7 एस.सी.सी 124** में प्रकाशित, जिसका पैरा 30 निम्नांकित पाठ्य है: -

> *"30. सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम सीबीआई [सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम सीबीआई, (2009) 8 एस.सी.सी. 1:*
> *(2009) 3 एस.सी.सी. (अपराधिक) 646] में यह मताभियक्ति की गयी थी कि आपराधिक न्यास भंग का कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ, उस व्यक्ति द्वारा संपत्ति का उपयोग या व्ययन करना होगा, जिसे संपत्ति सौंपी गई है या अन्यथा उस पर उसका अख़तियार है। ऐसा कार्य न केवल बेईमानी से किया गया होना चाहिए, बल्कि न्यास को पूरा करने से संबंधित विधि या किसी भी संविदा के अभिव्यक्त या विवक्षित निर्देश का उल्लंघन भी किया गया होना चाहिए।"*

न्यायालय ने मताभियक्ति की है कि आपराधिक न्यास भंग का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संपत्ति का उपयोग या व्ययन करना जिसे संपत्ति सौंपी गई है या अन्यथा उस पर उसका अख़तियार है। ऐसा कार्य न केवल बेईमानी से किया गया होना चाहिए, बल्कि न्यास (ट्रस्ट) को पूरा करने से संबंधित विधि के किसी निर्देश या किसी भी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के निर्देश का उल्लंघन भी किया गया होना चाहिए।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, इसके बाद, **मोहम्मद नजीमुद्दीन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य 2023 एस.सी.सी ऑनलाइन झारखंड 859** मे रिपोर्टेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि इस (मामले) में, इस न्यायालय ने मितेश कुमार जे. शा बनाम कर्नाटक राज्य 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 976 में रिपोर्टेड, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अवलम्बन लिया, जिसके पैराग्राफ संख्या 40 और 47 नीचे उद्धृत है:-

> *"40. इस उक्ति को तत्कालिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर लागू करने से धारा 405, 419 और 420 के अधीन बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय के प्रमुख तत्व सामने नहीं आते, हमारे सुविचारित राय मे यह मामला एक उपयुक्त मामला है जिसमे इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।*
>
> ***क्या विवाद पूरी तरह दीवानी प्रकृति का है और इसलिए यह अभिखंडित किये जाने योग्य है?***
>
> *47. इसके अलावा, यह न्यायालय अनगिनत मौक़ों पर दीवानी वाद को आपराधिक रंग देने को, जो केवल दीवानी वाद के विपरीत, आपराधिक मामले में दी गई*

अपेक्षाकृत त्वरित राहत का लाभ उठाने के लिए किये जाते हैं, का अननुमोदन किया है। ऐसा प्रयोग विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंख्य उदाहरणों को दोहराया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल विवाद को आपराधिक रंग देने को अननुमोदिता (डिसअप्रूभल) व्यक्त की है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद वाद संख्या 2350/2018 और साथ ही दिनांक 14.08.2018 को संज्ञान लिए गए आदेश को याचिकाकर्ता के सम्बंद में अभिखंडित और रद्द कर दिया जाए ।

7. दूसरी ओर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक और विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील ने परिवाद वाद संख्या 2350/2018 को रद्द करने और दिनांक 14.08.2018 के संज्ञान लेने के आदेश को रद्द किए जाने का पुरजोर विरोध किया है। विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है कि अभियुक्त मोहनीश कुमार को धन सौंपे जाने के समय वह शिकायतकर्ता के कार्यालय में उपस्थित था और हालांकि याचिकाकर्ता यह अच्छी तरह से जानता था कि उस तारीख तक मोहनीश कुमार के पास बिहार के वैशाली जिले में स्थित पांच फ्लैटों पर कोई अधिकार, हक़ और हित नहीं था, फिर भी उन्होंने शिकायतकर्ता को झूठा प्रतिनिधित्व दिया कि मोहनीश उक्त संपत्ति का मालिक है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे कार्यवाही के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है। अंतिमतः यह प्रस्तुत किया गया कि यह अपराधिक विविध याचिका बिना गुणागुण (मेरिट) के होने की वजह से इसे खारिज किया जाए।
8. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यानपूर्वक ग़ैर करने के बाद, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को किसी भी तरह का कोई धन सौंपने का कोई अभियोग नहीं है। धन सौंपने का आरोप स्पष्ट रूप से मोहनीश कुमार के खिलाफ है और शिकायतकर्ता और मोहनीश कुमार के बीच हुए समझौते पर सुरेश जैन ने बतौर अतिरिक्त गवाह हस्ताक्षर किए थे, और यह बहुत ही असंभव है कि अगर याचिकाकर्ता का सह-अभियुक्तों द्वारा लिए गए धन में कोई हित नहीं था, और न ही वे किसी भी तरह से सह-अभियुक्त मोहनीश कुमार से संबंधित था, तो वे शिकायतकर्ता को गुमराह करने के लिए वैशाली, बिहार से रांची तक आएगा, बल्कि निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने विद्वान अवर न्यायाधीश, प्रथम, हाजीपुर, वैशाली की अदालत में हक़ वाद संख्या 503/2016 दायर किया और उक्त वाद में डिक्री इस मामले की घटना के तारीख से पहले पारित की गई

थी। हालांकि शिकायतकर्ता द्वारा यह स्पष्ट आरोप लगाया गया है कि यह एक मिलीभगत वाला मुकदमा था, लेकिन अभिलेख में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि यह मिलीभगत वाला मुकदमा था, बल्कि अभिलेख में मौजूद सबूतों से पता चलता है कि जिस संपत्ति के संबंध में सह-अभियुक्त मोहनीश कुमार ने शिकायतकर्ता के साथ बिक्री के लिए समझौता किया था, वह इस मामले की तारीख से पहले से ही याचिकाकर्ता के स्वामित्व में है और सह-अभियुक्त उमेश प्रसाद सिंह, जो अब मृत हो चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशोध लेने के लिए आरोपी बनाया गया है। इसलिए, इस न्यायालय का यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है, जहां शिकायत मामला संख्या 2350/2018 और साथ ही विद्वान प्रथम श्रेणी नयायिक दंडाधिकारी, रांची द्वारा पारित दिनांक 14.08.2018 के संज्ञान आदेश को, याचिकाकर्ता के सम्बंध में, अभिखंडित और रद्द किया जाना चाहिए।

9. तदनुसार, शिकायत वाद संख्या 2350/2018 तथा विद्वान प्रथम श्रेणी नयायिक दंडाधिकारी, रांची द्वारा पारित दिनांक 14.08.2018 के संज्ञान आदेश को याचिकाकर्ता के सम्बंध में अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।
10. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के सम्बंध में यह आपराधिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्या.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 1 मार्च, 2024
स्मिता / एएफआर

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) द्वारा किया गया।